



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253157
CG-DL-E-16032024-253157

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1365]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 2024/फाल्गुन 26, 1945

No. 1365]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 2024/PHALGUNA 26, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2024

का.आ. 1431(अ).—कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में सदस्यों को नियुक्त करती है और इस प्रयोजनार्थ वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 अगस्त, 1986 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. का. आ. 486 (अ) में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उपर्युक्त अधिसूचना में :-

(क)	क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -	
	धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ज) के तहत नियुक्त:	
30	श्री शशांक बी. गुप्ता श्री भाग्यलक्ष्मी कमर्शियल कारपोरेशन, 321/अ, मैसूर रोड अपोजिट भेल, बैंगलोर (कर्नाटक), पिन: 560039	सदस्य

(ख)	क्रम संख्या 39 से 40 तक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः -	
	धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (झ) के तहत नियुक्त :	
"39.	डॉ. परशराम पाटिल ए/पी- गुडेवाडी, ताल- चांदगढ़ जिला: कोहलापुर (महाराष्ट्र), पिन: 416552	सदस्य
40.	डॉ. शशी पाल राव गाँव: गनियारी, पोस्ट: मदनपुर, जिला: देवरिया (उत्तर प्रदेश), पिन: 274205	सदस्य"।

[फा.सं.6/33/2017-ईपी (एग्री.IV))-भाग-II]

राजेश अग्रवाल, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 12 अगस्त, 1986 के का.आ. 486 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार दिनांक 21 नवंबर, 2023 के का.आ.4992 (अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2024

S.O. 1431(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), read with rule 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, the Central Government hereby appoints the following members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for a period of two years with effect from the date of publication of this notification and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986, namely:-

In the said notification, -

(a)	for serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely: -	
Appointed under clause (h) of sub-section (4) of section 4:		
30.	Shri Shashank B. Gupta Shri Bhagyalakshmi Commercial Corporation, 321/A, Mysore Road Opposite BHEL, Bangalore (Karnataka), Pin: 560039	Member
(b)	for serial number 39 to 40 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be respectively substituted, namely: -	
Appointed under clause (i) of sub-section (4) of section 4:		
"39.	Dr. Parashram Patil A/p – Gudewadi, Tal- Chandgad Distt.: Kohlapur (Maharashtra), Pin: 416552	Member

40.	Dr. Shashi Pal Rao Village: Ganiyari, Post: Madanpur, Distt.: Deoria (Uttar Pradesh), Pin: 274205	Member”
-----	--	----------------

[F. No. 6/33/2017-EP (Agri.IV)-Pt.II]

RAJESH AGRAWAL, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* S. O. 486(E), dated the 12th August, 1986 and lastly amended *vide* S.O. 4992(E), dated the 21st November, 2023.